भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न संख्या : 225

गुरुवार, 22 दिसम्बर, 2022 (1 पौष, 1944 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई अड्डों का निजीकरण

***225. प्रो. सौगत राय:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का प्रस्तावित मुद्रीकरण के भाग के रूप में और अधिक हवाई अड्डों का निजीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को इससे कितना राजस्व मिलने की उम्मीद है और एयरलाइन में कार्यरत मौजूदा कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“हवाई अड्डों का निजीकरण” विषय पर लोक सभा के दिनांक 22.12.2022 के मौखिक (*) प्रश्न संख्या 225 के उत्तर में उल्लिखित वक्तव्य।

(क)से (ग): नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 25 हवाईअड्डे नामत: भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयम्बतूर, नागपुर, पटना, मदुरै, सूरत, रांची, जोधपुर, चेन्नै, विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, इम्फाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून तथा राजामुन्दरी को, 10782 करोड रुपये की आगत को देखते हुए, वर्ष 2022 से 2025 के दौरान पट्टे पर दिए जाने के लिए निर्धारित किया गया है। तथापि, सरकार को प्राप्त होने वाली आगत का निश्चित मूल्य लेनदेन के समय, बाजार की स्थिति, निवेशकों की इच्छा, लेनदेन की शर्तों आदि सहित अनेक कारकों पर निर्भर करता है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत लाए गए हवाईअड्डों पर तैनात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के हितों की पूर्णरूपेण रक्षा की गई है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत हाल ही में पट्टे पर दिए गए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के छह हवाईअड्डों के लिए रियायतग्राही के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार,सहायक महाप्रबंधक के स्तर तक के कर्मचारी 3 वर्षों (अर्थात 1 वर्ष की संयुक्त प्रबंधन अवधि के बाद, 2 वर्ष की मानद प्रतिनियुक्ति अवधि) तक संबंधित हवाईअड्डों पर ही तैनात रहेंगे। साथ ही, रियायतग्राही मौजूदा शर्तों के समान नियमों और शर्तों पर कम से कम 60% कर्मचारियों को नियुक्ति-ऑफर प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तत्पश्चात, कर्मचारियों के पास रियायतग्राही निकाय में शामिल होने या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में वापस लौटने का विकल्प मौजूद है।

तथापि, हवाई अड्डों को पट्टे पर देने का एयरलाइनों में कार्यरत मौजूदा कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा परकोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

****